मैला ढोने की प्रथा बंद हो !

जाति पर आधारित मैला ढोना की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें दलितों की कुछ उपजातियों को अपने हाथों से सूखी लैट्रिन (शुष्क शौचालय) या सीवर में से मल–मूत्र साफ़ करने, इकठा करने, अपने सिरों पर मैला ढोने या अन्य सम्बंधित कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इस प्रथा को बीस वर्ष पहले ही संविधानिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन आज भी देश में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। मार्च 2014 में *सफाई कर्मचारी आन्दोलन और अन्य बनाम भारत संघ* के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भारत में 96 लाख सूखी लैट्रिन हैं। ज़ाहिर है इनकी सफाई इंसानों द्वारा की जाती है। इसके अलावा आये दिन किसी न किसी मज़दूर की सीवर में सुरक्षा कवच और यंत्रों के बिना उतरने के कारण हुई मौत की खबर आती रहती है। इन कार्यों से जुड़े लगभग सभी लोग दलित हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए ये मुद्दा जाति के साथ–साथ लिंग आधारित भेदभाव के सवाल को भी सामने रखता है।

1993 में पारित *हाथ से सफाई करने वाले स्वच्छकारों के रोजगार एवं शुष्क शौचालय (प्रतिशोध) अधिनियम* के तेहत मैला ढोने की प्रथा और सूखी लैट्रिन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पर इस अधिनियम में कई कमियाँ थीं और यह कभी भी पूरी तरह लागू हो ही नहीं पाया क्योंकि यह केवल 6 राज्यों में ही लागू हुआ था। 2013 में संसद ने एक और अधिनियम पारित किया – *हस्त सफाई कर्मियों के रोजगार निषेध एवं उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम 2013* । इस अधिनियम के प्रावधान थोड़े विकसित हैं। जैसे इसमें हस्त सफाई कर्मियों को पहचानने की वैधानिक आवश्यकता पर और उनको वैकल्पिक रोज़गार देने पर ज़ोर दिया गया है। इस अधिनियम में उन मज़दूरों को भी हस्त सफाई कर्मियों की श्रेणी में रखा गया है जो सीवर, टैंक या रेलवे की पटड़ियां साफ करते हैं। इसके अलावा, मार्च 2014 में सर्वोच्च न्यायलय ने *सफाई कर्मचारी आन्दोलन और अन्य बनाम भारत संघ* में अपने फैसले में मैला ढोने की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21, और 23 के खिलाफ बताया और 1993 और 2013 के अधिनियम को ढंग से लागू करने की हिदायत भी दी ।

इस मुद्दे से संबन्धित कानूनी प्रावधानों की कमी नहीं है। पर स्पष्ट है कि इस प्रथा को खत्म करने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं। सरकार की इस मुद्दे के प्रति उदासीनता पिछले साल तब सामने आई जब प्रधानमंत्री द्वारा प्रचारित *राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन* के तेहत दी गई 'संभावित रोज़गारों' की सूची में मैला ढोना भी शामिल था । हालांकि स्वच्छ भारत अभियान एन.डी.ए. की मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा प्रचारित कार्यक्रम है, लेकिन मैला ढोने वालों को, इस कार्यक्रम में पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है । और तो और इन मज़दूरों के पुनर्वास के लिए आबंटित बजट को 4656 करोड़ रुपयों से घटाकर मात्र 10 करोड़ कर दिया गया है ।

इस मुद्दे से जुड़े कई और मसले हैं जैसे सरकारी और गैर–सरकारी आंकड़ों में फर्क होना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 6 लाख लोग इस काम से जुड़े हैं लेकिन स्वतंत्र नागरिक समाज के संगठन जैसे सफाई कर्मचारी आन्दोलन के अनुसार ये संख्या इससे कम से कम इसकी दुगनी है। इसी प्रकार 2011 में हुई जनगणना और सर्वोच्च न्यायालय का 2014 का फैसला शुष्क शौचालयों की संख्या के बारे में अलग–अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। सवाल ये है कि जब सरकार इस काम से प्रभावित लोगों की संख्या पता करने में ही ढील दिखा रही है, तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार पर कैसे निर्भर रहा जा सकता है ?

शर्म की बात यह भी है की 1993 से एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैला ढोने का काम करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जबकि कई सरकारी संस्थानों में आज भी लोगों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे की भारतीय रेल जो कि बहुत बड़े स्तर पर मैला साफ करने के लिए लोगों को नियुक्त करता है। सफाई करने के लिए सीवर, टैंक या खुले नालों में उतरने के बाद, ज़हरीली वायु के कारण दम घुटने से मज़दूरों की मौतों को आज भी लापरवाही या दुर्घटना के कारण हुई मौत के नाम पर दर्ज़ किया जाता है, और कभी पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। ऐसे मामलों में कानूनी रूप से किसी मृत के परिवार को 10 लाख रूपए मिलने चाहिए। मार्च 2014 से 2016 के बीच 1268 लोगों ने ऐसे मामलों में अपनी जान खो दी ।

मैला ढोने वाले लोगों से जुड़े इन मुद्दों और कई अन्य समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए, भीमराव अम्बेडकर के 125वे जन्मदिन के अवसर पर, दिल्ली तक आने वाली इस 125 दिन लम्बी भीम यात्रा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर, पी.यू.डी.आर. मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ इस संघर्ष में अपना पूरा समर्थन व्यक्त करता है। यह दोहराने योग्य है की ऐसी अमानवीय प्रथा सभी मूल अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। शुष्क शौचालयों, जिसके कारण यह प्रथा जारी रहती है, को खत्म करने के लिए और स्वास्थ रक्षा–सम्बन्धी उपायों को लागू करने के लिए एक केन्द्रित अभियान किया जाना चाहिए। साथ ही इस प्रथा से जुड़े सभी लोगों को एक समयबद्ध योजना के तेहत पुनर्वासित कर, मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, शिक्षा के लिए पर्याप्त समर्थन, वैकल्पिक रोज़गार, और अन्य सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य, घर, आदि दी जानी चाहिए।

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स

13 अप्रैल 2016